p.u. Issued
RTI

फा. सं.।।-18015/42/2013-एन एम.।।।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल प्रबंधन प्रभाग)

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 22 अगस्त, 2013

सेवा में
श्री स्वामी अग्निवेश,
अध्यक्ष,
बंधुआ मुक्ति मोर्चा
7, जंतर मंतर रोड
नई दिल्ली-110001

23 AUG 2013

विषय : **आपके दिनांक 12.07.2013 के आवेदन के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।**

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपके दिनांक 12.07.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 25.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई का अवलोकन करें।

2. उपर्युक्त आवेदन के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है:-

2.1 वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की अपनी स्वयं की समर्पण एवं पुनर्वास नीतियां हैं। तथापि, 1.4.2013 से पहले, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के बारे में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को, नियमित हथियारों के साथ समर्पण करने वाले प्रति समर्पणकर्ता के लिए 20,000 रु. तथा हथियारों के बिना समर्पण करने वाले प्रति समर्पणकर्ता के लिए 10,000 रु. की अधिकतम दरों पर समर्पणकर्ता वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की है।

2.2 भारत सरकार ने 'प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों की समर्पण-सह-पुनर्वास योजना' संबंधी दिशा निर्देशों को हाल ही में 1.4.2013 से संशोधित किया है। संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्य सरकार के समक्ष समर्पण करने वाले उच्चतर रैंक के वामपंथी उग्रवादी कॉडरों के लिए 2.5 लाख रु. तथा मध्यम/निम्नतर रैंक के वामपंथी उग्रवादी कॉडरों के लिए 1.5 लाख रु. का तत्काल अनुदान शामिल है। इन समर्पणकर्ताओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए तीन वर्ष की अवधि तक 4000/- रु. का मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हथियारों/गोलाबारुद आदि के समर्पण के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं।

2.3 समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त किया जा सकता है।

3. उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर की जा सकती है तथा इस सूचना के संबंध में अपील श्री एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)
निदेशक (ए एन ओ-I) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 25/7/2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में सूचनार्थ।

-3-

मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली
17 JUL 2013
के.र.सं. 941
C.R. No.
सी.आर. अनुभाग/नार्थ ब्लॉक/C.R. Section, North Block

नई दिल्ली, जुलाई 12, 2013

जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

47411/RTI/2013
24/7/13

विषयः आरटीआई, 2005 के तहत निम्न सूचना देने की कृपा करें।

नक्सलवादियों/माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी पुर्नवास योजना के लिए कितनी धन राशि राज्यों को दी गई है। जारी की गई राशि को राज्यवार भेजने की कृपा करें?

पुर्नवास योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों/माओवादियों की सूची दी गई सहायता राशि के साथ भेजने की कृपा करें।

आवेदन शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

Dir (NM)

भवदीय,

(स्वामी अग्निवेश)
अध्यक्ष
बंधुआ मुक्ति मोर्चा
7, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली–110001
फोनः 011. 2336 7943, फैक्सः 011.2336 7946
इमेलः agnivesh70@gmail.com